

Article 370: बैकग्राउंड और महत्त्वपूर्ण तथ्य: J&K vs. India

धारा 370 क्या है?

- भारतीय संविधान की धारा 370 एक प्रावधान है जो जम्मू-कश्मीर को एक विशेष स्वायत्ता प्रदान करता है। संविधान के **भाग XXI** के अनुसार यह प्रावधान अस्थायी है।
- धारा 370 के अनुसार राज्य में केन्द्रीय कानून लागू करने के पहले संसद को राज्य सरकार से सहमति लेना आवश्यक है। यद्यपि यह प्रावधान **रक्षा, विदेशी मामलों, वित्त और संचार** के मामलों में लागू नहीं होता है।
- भारत के नागरिक जम्मू-कश्मीर में भूमि अथवा सम्पत्ति नहीं खरीद सकते हैं।
- यदि केंद्र **धारा 360 (Article 360)** के अंतर्गत भारत में वित्तीय आपातकाल लागू करता है तो यह आपातकाल जम्मू-कश्मीर पर प्रभावी नहीं होगा। हालाँकि यदि युद्ध हो अथवा बाह्य आक्रमण हो तो जम्मू-कश्मीर में भी आपातकाल लागू किया जा सकता है।
- भारत सरकार जम्मू-कश्मीर की सीमाओं को न तो बढ़ा सकती है अथवा घटा सकती है।
- भारतीय संसद का जम्मू-कश्मीर के मामले में क्षेत्राधिकार केन्द्रीय सूची और समवर्ती सूची के मामलों तक सीमित है। जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए कोई राज्य सूची नहीं है।
- भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि जो कार्य केन्द्रीय, समवर्ती अथवा राज्य सूची में नहीं शामिल है वह स्वतः केंद्र का कार्य मान लिया जाता है, परन्तु जम्मू-कश्मीर के मामले में ऐसा नहीं है। यह अवश्य है कि कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें संसद का क्षेत्राधिकार इस राज्य पर होता है जैसे देशद्रोह अथवा देश-विभाजन अथवा संप्रभुता पर आँच अथवा भारत की एकता से सम्बन्धित मामले।
- भारत में एहतिपात के तौर पर बंदीकरण का कानून बनाने का काम संसद का होता है, परन्तु जम्मू-कश्मीर में ऐसा कानून वहाँ की विधान सभा ही बना सकती है।
- **राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व (Part IV)** तथा **मौलिक कर्तव्य (Part IVA)** जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होते हैं।

BACKGROUND OF ARTICLE 370

1947 ई. जब भारत का विभाजन हुआ तो अंग्रेजों ने रजवाड़ों को स्वतंत्र कर दिया था। उस समय जम्मू-कश्मीर का राजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहता था और भारत में विलय होने का विरोध करने लगा। उस समय सभी अन्य राज्य जो रजवाड़े के अन्दर आते थे उन्होंने भी भारत देश में विलय का छुटपुट विरोध किया पर सरदार पटेल के भय से सब भारत में मिल गए। मगर कश्मीर का मामला नेहरू ने अपने हाथ में ले लिया और पटेल को इससे अलग रखा। उस वक्त नेहरू और अब्दुल्ला के बीच बातचीत हुई और जम्मू-कश्मीर की समस्या शुरू हो गयी।



जम्मू-कश्मीर में पहली अंतरिम सरकार बनाने वाले नेशनल कॉफ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने भारतीय संविधान सभा से बाहर रहने की पेशकश की थी.

इसके बाद भारतीय संविधान में धारा **370** का प्रावधान किया गया जिसके तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त हैं.

1951 में राज्य को संविधान सभा को अलग से बुलाने की अनुमति दी गई.

नवंबर, **1956** में राज्य के संविधान का कार्य पूरा हुआ. **26 जनवरी, 1957** को राज्य में विशेष संविधान लागू कर दिया गया.

धारा 370 है क्या जो देश के विशेष राज्य जम्मू-कश्मीर में लागू है। SOME FACTS ABOUT ARTICLE 370 ARE UNDERLINED.

1. जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दो नागरिकता होती है- एक जम्मू-कश्मीर की दूसरी भारत की।
2. जम्मू-कश्मीर का अपना अलग राष्ट्रध्वज होता है ।



3. अन्य राज्यों की तरह जम्मू -कश्मीर के पास अपनी एक विधानसभा होती है मगर विधानसभा का कार्यकाल **6** वर्षों का होता है, दूसरी ओर भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल **5** वर्ष का होता है।
4. यदि आप जम्मू-कश्मीर में जाकर भारत के तिरंगे का अपमान कर देते हैं तो इसे अपराध नहीं माना जाता.
5. भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश जम्मू-कश्मीर के अन्दर मान्य नहीं होते.
6. भारतीय संविधान की धारा **360** जो वित्तीय आपातकाल से सम्बंधित है, वह **Article 370** के चलते जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होती।
7. भारतीय संविधान का भाग **4** में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है और भाग **4A** में नागरिकों के मूल कर्तव्य गिनाये गए हैं, पर दिलचस्प बात यह है कि कोई भी नीति निर्देशक तत्व या कोई भी मूल कर्तव्य जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता।
6. भारत की संसद जम्मू – कश्मीर के सम्बन्ध में अत्यंत सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है. भारत की संसद को जम्मू-कश्मीर के विषय में रक्षा **defense**, विदेश मामले **foreign affairs** और संचार **communication** के

विषय में कानून बनाने का अधिकार है लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए।

7. जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जायेगी। इसके विपरीत यदि वह पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता मिल जायेगी।

8. **Article 370** के चलते कश्मीर में **RTI (Right to Information)** लागू नहीं है। **RTE (Right to Education)** लागू नहीं है। **CAG** लागू नहीं होता। भारत का कोई भी कानून जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होता।

पहलू 1

जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है। रक्षा, विदेश मामलों, संचार और कुछ छोटे मुद्दों को छोड़ दिया जाए, तो दूसरे कानून अमल में लाने के लिए संसद को जम्मू कश्मीर की मंजूरी चाहिए

पहलू 2

देश में ऐसे कई राज्य हैं, जो केंद्र सरकार से रिश्तों के मामले में पहले की तुलना में अब कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं

9. कश्मीर में महिलाओं पर शरियत कानून (shariyat kanoon) लागू है।

10. कश्मीर में पंचायत का कोई प्रावधान नहीं है।

11. कश्मीर में अल्पसंख्यकों [हिन्दू- सिख] को आरक्षण नहीं मिलता।

12. 1976 का शहरी भूमि कानून जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता। **Article 370** के अंतर्गत कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं।

13. धारा 370 की वजह से ही पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है। इसके लिए पाकिस्तानियों को केवल किसी कश्मीरी लड़की से शादी करनी होती है।